

2025

पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 151 सी.पी.सी. सुनी जा चुकी है। वकील प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी ने वाद पत्र में तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एम.एल. मुरब्बा नं. 59 व चक 5 एम.एल. के मुरब्बा नं. 13, 14 में प्रतिवादी सं. 1 नाम भूमि दर्ज होने का कथन करते हुए प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी को खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 4 एम.एल. व चक 5 एम.एल. में दर्ज भूमि में से कुछ भूमि एन.एच.-62 राजमार्ग में अवाप्त कर ली गई है और शेष वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने पौत्र जय कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार व राज कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार को जरिये उपहार पत्र हस्तान्तरित कर दी है और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज न होने से वादी का वाद निष्प्रभावी हो चुका है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र है। अतः वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज न होने से वादी का वाद निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त होने वाली भूमि के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 4 एम.एल. व चक 5 एम.एल. में से कुछ भूमि एन.एच.-62 राजमार्ग में अवाप्त कर ली गई है और शेष वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने पौत्र जय कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार व राज कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार को जरिये उपहार पत्र हस्तान्तरित की जा चुकी है और वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज न होने से वादी द्वारा चाहा गया अनतोष वादी को दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला दाखिल अभिलेखागार रहे।

